संख्या-63/2016/आर.805/26-3-2016-100(115)/99

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-312/24/जा.जा.वि./15-16, दिनांक-14.01.2016, पत्रांक-324/12/ज.जा.वि/15-16, दिनांक-19.01.2016 एवं पत्रांक-305/ज.जा.वि/15-16, दिनांक-08.01.2016, पत्रांक-458/25/ज.जा.वि/15-16, दिनांक-26.02.2016 पत्रांक-439/25/ज.जा.वि/15-16, दिनांक-11.02.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान सं0-81 के के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण" के आयोजनेतर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि को संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार रूपया-18,31,000/-(रूपये अट्ठारह लाख इकतिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत मदों में होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो के अनुसार तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या- 63/2016/आर-805(1)/26-3-2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
4-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-63/2016/आर.805/26-3-2016-100(115)/99, दिनांक-30 मार्च 2016

का संलग्नक

अनुदान संख्या-81 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2015-16	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही
राजस्व लेखा 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यपिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनेतर-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
14--अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विकास 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2640	1320	1320
15-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	105	52	53
17-जनजाति उपयोजना- 1701-एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	330	165	165
1702 जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम-थारू विकास परियोजना गोण्डा 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	300	150	150
1703-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	150	75	75
1704- बिखरी आबादी वाली जनजाति का विकास 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	135	67	68
कुल योग	3660	1829	1831

(रूपये अट्ठारह लाख इकतिस हजार मात्र)

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in